



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129596

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 20348/2026

मोनिस

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : दीपक कुमार

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य विपक्षी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक की ओर से थाना कोटवाली, जिला बिजनौर के वाद संख्या 299/2026, बी.एन.एस. की धारा 310(2), 317(3), 324(4) के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने के लिए दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस वाद संख्या के प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उनका कहना है कि आवेदक पर आरोप है कि उसने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर जबरन एक सोने की अंगूठी, एक चांदी की चेन छीन ली और Phonepe के माध्यम से 65,000/- रुपये स्थानांतरित किए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने आवेदक के कब्जे से 10,000.00 रुपये की झूठी बरामदगी दिखाई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उनका तर्क है कि वर्तमान प्रकरण में, आरोप पत्र 28.04.2026 को दायर किया गया है, इसलिए आवेदक को किसी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।



उनका तर्क है कि वर्तमान प्रकरण में आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। उनका तर्क है कि आवेदक 19.04.2026 से कारावास में बंद है। उनका तर्क है कि आवेदक के नाम पर कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। उनका तर्क है कि जमानत पर रिहा होने पर उनके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि नामजद नहीं किए गए सह-अभियुक्तों, नामतः समीर, अनस, मो. फरदीन और आकिब को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 19041/2026, 20230/2026, 17470/2026 और 20567/2026 में दिनांक 16.06.2026, 18.06.2026, 21.05.2026 और 23.06.2026 के आदेशों के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। अतः जमानत का अनुरोध किया गया है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता, साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की आशंका और प्रथम दृष्टया प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, लेकिन प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का प्रकरण बनता है।

तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उक्त वाद संख्या में शामिल अभियुक्त-आवेदक, **मोनिस** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।



4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी ज़मानत खारिज करने के लिए स्वतंत्र होगी।

29 जून, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

Translated Version. Not for Legal Use.